ई-11017/12/2021/रा.भा.(ई-43479)

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(राजभाषा अनुभाग)

*****

कौशल भवन, द्वितीय तल,
न्यू मोती बाग, नई दिल्ली-110023
दिनांक 07.01.2026

सेवा में,

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सभी माननीय सदस्य

विषयः दिनांक 03 दिसंबर 2025 को आयोजित कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त ।

महोदया/महोदय,

माननीय कौशल विकास और उदयमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयन्त चौधरी जी की अध्यक्षता में दिनांक **03 दिसंबर 2025** को नई दिल्ली स्थित संसदीय सौध के समिति कक्ष-सी में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। सभी संबन्धित कार्यालयों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई करें और कृत कार्रवाई रिपोर्ट एक माह के भीतर मंत्रालय को भेज दें ।

संलग्नक: कार्यवृत्त

भवदीय,

मनीष कुमार सिंह
(मनीष कुमार सिंह)
उप सचिव(राजभाषा)

प्रतिलिपि:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

3. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
4. संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली
5. लोक सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली
6. राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, राजभाषा विभाग, एनडीसीसी-2, जय सिंह रोड, नई दिल्ली
8. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली
9. माननीय एमएसडीई राज्य मंत्री के निजी सचिव, नई दिल्ली
10. सचिव, एमएसडीई के प्रधान निजी सचिव
11. आर्थिक सलाहकार (समन्वय) के प्रधान निजी सचिव
12. उप महानिदेशक (राजभाषा) के निजी सचिव
13. मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय/अनुभाग/प्रभाग
14. एनआईसी प्रभाग को एमएसडीई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयन्त चौधरी की अध्यक्षता में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की <u>दिनांक 03.12.2025 को आयोजित दूसरी बैठक का कार्यवृत्त</u>

माननीय कौशल विकास और उदयमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयन्त चौधरी की अध्यक्षता में कौशल विकास और उदयमशीलता मंत्रालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 03.12.2025 को संसद सौध के सम्मेलन कक्ष 'सी' में आयोजित की गई । बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध-1 में दी गई है ।

बैठक की कार्यवाही का आरंभ मंत्रालय की सचिव महोदया सुश्री देवश्री मुखर्जी दवारा माननीय कौशल विकास और उदयमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयन्त चौधरी, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) श्रीमती मंजू शर्मा, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) श्री आदित्य प्रसाद तथा बैठक में उपस्थित सभी गैर-सरकारी सदस्यों के स्वागत संबोधन से किया गया ।

सचिव महोदया ने अपने स्वागत सम्बोधन में कहा कि मंत्रालय का उददेश्य विभिन्न वर्गों के युवाओं का कौशलीकरण कर उन्हें रोजगार/स्व-रोजगार के लिए सक्षम बनाना है। मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण संस्थानों में कौशलीकरण संबंधी सभी प्रशिक्षण हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से दिया जाता है तथा प्रशिक्षण सामग्री भी दविभाषी रूप में उपलब्ध कराई जाती है। मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में आयोजित होने वाली अधिकांश प्रशासनिक बैठकों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न आयोजनों के माध्यम से हम अपने अधिकारियों, कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मंत्रालय में ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जो हिंदी में कार्य करने में सहज नहीं है, उनके लिए हिंदी कार्यशालाएं आयोजित कराना हमारी प्राथमिकता रहती है। कंप्यूटरों पर हिंदी में काम करने हेतु तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर वर्ष हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से अधिकारियों, कर्मचारियों दवारा हिंदी में कार्य करने में होने वाली झिझक दूर होती है। सचिव महोदया ने आगे भरोसा दिलाया कि समिति के सदस्यों दवारा जो सुझाव दिए जाएंगे उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में यथासंभव प्रयास करेंगे।

2. मंत्रालय के उप सचिव (राजभाषा) श्री मनीष कुमार सिंह ने पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मंत्रालय का संक्षिप्त परिचय दिया और राजभाषा अनुभाग दवारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। अपनी प्रस्तुति में उन्होंने मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग दवारा किए जा रहे कार्यों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने समिति को अवगत कराया कि मंत्रालय में हिन्दी अधिकारी का कोई पद रिक्त नहीं है और राजभाषा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने

पत्राचार तथा फाइलों पर हिन्दी में किए गए काम, मंत्रालय में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, संसदीय राजभाषा समिति दवारा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण तथा मंत्रालय दवारा 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण, इन तीनों वर्षों के दौरान आयोजित हिन्दी कार्यशालाओं से अवगत कराया। उन्होंने आगे कहा कि हर वर्ष इस मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े का उत्साह से आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में अधिकारी/कर्मचारी बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं, पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं के मूल्यांकन में हिंदीतर भाषी क्षेत्र के प्रतिभागियों की सहभागिता में वृदधी के लिए अन्य प्रतिभागियों की तुलना में उन्हें 20% अतिरिक्त अंक दिए जाने का प्रावधान है। मंत्रालय में 'सरकारी कामकाज हिन्दी में करने में मनोवैज्ञानिक बाधाएँ' विषय पर राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत मंत्रालय को अधिसूचित करने के अतिरिक्त मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय एनसीवीईटी, प्रशिक्षण महानिदेशालय और जन शिक्षण संस्थान को भी अधिसूचित किया गया।

इसके पश्चात, अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों से अपना सुझाव देने का आग्रह किया :

3. श्री आदित्य प्रसाद, माननीय सांसद, राज्य सभा

माननीय सांसद महोदय ने पूछा कि देश में प्रखंड स्तर पर कौशल विकास के लिए गाँव के बच्चों को प्रशिक्षण देने के उददेश्य से जो संस्थाएं खोली गई हैं, क्या उन केन्द्रों पर औचक निरीक्षण होता है और यदि होता है तो किस स्तर के अधिकारी निरीक्षण के लिए जाते हैं? उन्होंने यह चिंता व्यक्त की कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ केंद्र सिर्फ कागज पर ही चल रहे हैं। उन्होंने यह सुझाव दिया कि कौशल विकास केन्द्रों का नियमित रूप से एवं बिना पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। जिला/प्रखंड स्तर के साथ-साथ कभी-कभी केंद्रीय टीमों दवारा भी औचक दौरे किए जाएँ। निरीक्षण बढ़ने से केंद्र संचालकों में जवाबदेही एवं सजगता बढ़ेगी, जिससे प्रधानमंत्री जी का कौशल विकास का लक्ष्य बेहतर ढंग से पूरा होगा। इसके अतिरिक्त, आगे उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा के साथ साथ हिन्दी में पत्राचार को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया। अंग्रेजी में पत्राचार या बातचीत से ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों व नागरिकों को असुविधा होती है। हिंदी भाषी राज्यों में विशेष रूप से फाइल निपटान, पत्राचार तथा संवाद अधिकाधिक हिंदी में हो। अंग्रेजी के अत्यधिक उपयोग से लोगों में अलगाव का भाव उत्पन्न होता है, जबकि हिंदी भाषा के प्रयोग से अपनापन व संतोष मिलता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी के हिंदी प्रोत्साहन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभागों को और तत्परता से हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए।

(कार्रवाई- समस्त अनुभाग)

4. श्रीमती मंजू शर्मा, माननीय सांसद, लोकसभा

माननीय सांसद महोदया ने यह सुझाव दिया कि चूँकि पूरी बैठक हिंदी में हो रही है, इसलिए बैठक से संबंधित सभी दस्तावेज और सामग्री भी हिंदी में उपलब्ध कराई जाए और इसमें अंकों के प्रयोग में भी हिन्दी में लिखा जाए । बातचीत में सामान्यतः "सर" और "मैडम" शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसके स्थान पर **"श्रीमान"**, **"श्रीमती"** या अन्य हिंदी शब्दों का प्रयोग कर हिंदी के वातावरण को और अधिक जीवंत बनाया जा सकता है।

(कार्रवाई-समस्त अनुभाग)

5. श्री व्योमेश शुक्ल

उन्होंने सरल एवं लोकप्रिय हिंदी के प्रयोग करने पर जोर दिया और कहा कि सरकारी और न्यायिक कार्य में प्रयुक्त हिंदी अत्यधिक औपचारिक हो जाती है। सरल, स्वाभाविक, रोचक, लोकप्रिय हिंदी का विकास आवश्यक है, जो बोलचाल की आदर्श भाषा बन सके। उन्होंने कार्यशालाएँ आयोजित कराने का सुझाव दिया जिसमें श्रेष्ठ हिंदी वक्ताओं को आमंत्रित किए जाने का प्रावधान रखा जा सकता है। चुने हुए विषयों पर प्रभावी वक्तव्य कराकर हिंदी भाषा में संवाद को आकर्षक बनाया जाए। इससे नए अधिकारियों में हिंदी के प्रयोग के प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि कार्यशालाओं में लघु हिंदी नाटक शामिल किए जाएँ जो हिन्दी भाषा का गहन अनुभव प्रदान करेगा, जो राजभाषा के प्रति रुचि और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाएगा। आगे उन्होंने वर्तमान यूनिकोड समर्थित फॉन्ट (जैसे मंगल) को कम आकर्षक बताया। कौशल विकास मंत्रालय में एक विशेष प्रकोष्ठ/डिवीजन बनाया जाए, जो सुंदर, आकर्षक, यूनिकोड-समर्थित हिंदी फ़ॉन्ट विकसित करे। यह पहल कौशल विकास और राजभाषा प्रोत्साहन, दोनों उददेश्यों को एक साथ पूरा करेगी। विकसित फॉन्टस को व्यावसायिक रूप से बेचने/उपलब्ध कराने की भी संभावना है। उन्होंने कहा कि हिंदी के छोटे, सरल वाक्यों में अत्यधिक सौन्दर्य और व्यंजना होती है, जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। राजभाषा कार्य में प्रशिक्षित एक कॉपी एडिटर/अनुवादक नियुक्त किया जाए, जो दस्तावेजों को सरल, आत्मीय, सुसंस्कृत और सहज हिंदी में प्रस्तुत कर सके।

(कार्रवाई-एनआईसी/राजभाषा अनुभाग)

6. श्री भोला शंकर शर्मा

उन्होंने कहा कि हिंदी में दबाव, भय या आतंक का वातावरण बनाकर हिंदी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। भाषा को आत्मीय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, न कि इसे थोपा जाए। उन्होंने अत्यधिक शुदधतावाद एवं कृत्रिम शब्दावली प्रयोग से बचने की बात कही। कृत्रिम, बनावटी शब्द हिंदी को जन-जन से दूर करते हैं। स्वाभाविक, सरल, बोलचाल की हिंदी ही जीवंत और जनस्वीकार्य होती है। हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं या अंग्रेज़ी के शब्दों के सहज समावेश में कोई हानि नहीं है। भाषाएँ समन्वय से ही आगे बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी एक पुल की भांति है, जो विभिन्न गंतव्यों तक पहुँचने में सहायक है। परंतु हमारे घर भारतीय भाषाएँ हैं; इसलिए घर (हिंदी व अन्य भाषाएँ) को सशक्त बनाया जाना आवश्यक

है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक परिपत्रों/पत्रों में वर्तनी की त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे भाषा की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। **(कार्रवाई-समस्त अनुभाग)**

7. सुश्री नेहा धवन

उन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रमुख बिंदु रखे:

- मंत्रालय/विभाग दवारा प्रकाशित किसी भी पत्रिका के संरक्षक मंडल में गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करना ।
- मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में चार बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित करना
- मंत्रालय एवं उसके अधीनस्थ संगठनों दवारा आयोजित प्रशिक्षण, कार्यशाला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गैर-सरकारी सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया जाता। इन कार्यक्रमों में उनका समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए ।
- राजभाषा नियम पुस्तिका के अनुसार निरीक्षण समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को प्रेक्षक के रूप में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने 38 वर्षों में ऐसा कोई उदाहरण न होने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि उपलब्धता के अनुसार गैर-सरकारी सदस्यों को निरीक्षक/प्रेक्षक के रूप में शामिल किया जाए।
- उन्होंने कई अधिनियमों/नियमों के हिंदी अनुवाद पूर्ण न होने पर चिंता व्यक्त की। इस कार्य की समय-सीमा तय कर समिति गठित की जाए और उसमें गैर-सरकारी सदस्यों को निरीक्षक/प्रेक्षक के रूप में शामिल किया जाए।
- मंत्रालय से संबन्धित वार्षिक रिपोर्ट की प्रति सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए ताकि वे वर्ष 2026 के लिए अपने सार्थक सुझाव प्रस्तुत कर सकें।
- संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों की सभी आठ खंडों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत किए तथा लंबित कार्यवाहियों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया ।

(कार्रवाई-राजभाषा अनुभाग)

8. श्री माणिक विश्वकर्मा

उन्होंने कौशल प्रशिक्षण में प्रयुक्त हिंदी के गैर-सरलीकरण पर चिंता व्यक्त की कि क्या भाषा सही रूप में लाभार्थियों तक पहुँच पा रही है। आगे साहित्यिक पत्रिकाओं के बंद होने को हिंदी के अत्यधिक जटिल होने का महत्वपूर्ण संकेत बताया। उन्होंने साधारण बातचीत में अनेक विदेशी/अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द आने का उदाहरण प्रस्तुत किया। किसी भी योजना के सही क्रियान्वयन हेतु निरंतर निरीक्षण करना अनिवार्य है। निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी फ़ॉर्म/दस्तावेज़ को दविभाषी रूप में होने को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि हिन्दी पहले से ही समृदध है और हिंदी का जो स्वर्णिम इतिहास है, केवल हमें उसे अपनाने की आवश्यकता है।

9. श्री श्रीकांत कन्नन

श्री कन्नन ने तमिलनाडु में हिंदी के प्रति विदयमान परिस्थितियों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में राजनीतिक विरोध के कारण तमिलनाडु राज्य में राजभाषा अधिनियम,1963 लागू नहीं है। उन्होंने हिंदी-विरोधी आंदोलनों का इतिहास से अवगत कराया और यह स्पष्ट किया कि जनता के मन में हिंदी के प्रति कोई विरोध भावना नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा तमिलनाडु में सबसे अधिक सफल है–यह दर्शाता है कि लोग स्वयं हिंदी सीखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि "कानून से नहीं, मन से प्रेरणा से भाषा अपनाई जाती है।" हिन्दी के प्रति भय पैदा करने के बजाय लोगों के बीच हिंदी के प्रति आकर्षण और प्रेम पैदा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नियमों, हस्ताक्षरों या पत्राचार को अनिवार्य करने से कम परिणाम मिलेंगे बल्कि प्रोत्साहन आधारित मॉडल बेहतर रहेगा । उन्होंने मंत्रालय से आग्रह किया कि संस्थानों में हिंदी का उत्कृष्ट उपयोग करने वाले कर्मचारियों/छात्रों को विशेष पुरस्कार दिए जाएँ। हिंदी में रचनात्मक योगदान देने वाले छात्रों को प्राथमिकता, सहायता, एवं उदयमिता सहायता दी जाए।

समिति के सदस्यों को विभिन्न राज्यों विशेषकर तमिलनाडु का क्षेत्र दौरा अध्ययन (फील्ड विज़िट) कराने का सुझाव दिया ताकि भाषायी उपयोग, समस्याओं एवं अवसरों का प्रत्यक्ष आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे अगली बैठक में बेहतर सुझाव सामने आएँगे।

(कार्रवाई-समस्त अनुभाग)

10. श्री शेषमणि शुक्ल

उन्होंने श्री भोला शंकर शर्मा दवारा उठाए गए मुददे से सहमति व्यक्त की और कहा कि सरल, सुंदर और बोलचाल की हिंदी अधिक प्रभावकारी होती है। सरकारी आदेशों, नोटशीटों और फाइलों में अत्यधिक कठिन शब्दों जैसे "बंदी प्रत्यक्षीकरण", "प्रत्युत्पन्नमति" इत्यादि के प्रयोग को अनावश्यक बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि विदवानों से परामर्श कर सरलीकृत शब्दकोश/मानक शब्दावली तैयार की जाए। कौशल प्रशिक्षण लेने वाले अधिकांश युवा ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। यदि भाषा कठिन होगी, तो प्रशिक्षण की प्रभावशीलता में कमी आएगी। अदालतों का उल्लेख करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में कई मामलों में हिंदी याचिकाएँ स्वीकार नहीं होतीं है; पहले अंग्रेजी अनुवाद की शर्त रखी जाती है। कई केंद्रीय मंत्रालयों में दैनिक कामकाज लगभग पूरी तरह अंग्रेजी में होता है। अनुभाग स्तर के कर्मचारियों के लिए भी अंग्रेजी ज्ञान अनिवार्य होता है, जिससे हिंदी का प्रयोग सीमित हो जाता है। उन्होंने अंत में कहा कि समिति केवल सुझाव दे सकती है, मगर क्रियान्वयन मंत्रालय की जिम्मेदारी है। **(कार्रवाई-समस्त अनुभाग)**

11. श्री रघुबीर शर्मा, उप निदेशक, राजभाषा विभाग

उन्होंने राजभाषा विभाग की विशेष गतिविधियों के बारे में अवगत कराया: उनकी नवीनतम पहल भारतीय भाषा अनुभाग राजभाषा विभाग की एक महत्वकांक्षी परियोजना है जिसका शुभारंभ वर्ष 2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर 14 सितंबर 2024 को भारत मंडपम में माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह दवारा किया गया था। इसका उददेश्य था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पत्राचार राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषा में भी हो सकें ताकि शासन की भाषा जन भावना से जुड़ सकें। इसमें संविधान की आठवीं अनुसूची के 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सार्वभौमिक व्यवस्था विकसित किए जाने का प्रस्ताव किया इससे भाषायी समानता को नई दिशा मिलेगी।

उन्होंने आगे बताया कि फिजी में आयोजित हुई विश्व हिंदी सम्मेलन में राजभाषा विभाग के मोबाइल ऐप के नए संस्करण का लोकार्पण किया गया। बाद में इस ऐप में न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन (एनएमटी) सहित अनेक उन्नत फीचर जोड़े गए, जिससे सरकारी कामकाज में इसकी उपयोगिता बढ़ी। सितंबर 2025 के हिंदी दिवस समारोह एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बहुभाषी अनुवाद सारथी के उन्नत संस्करण का लोकार्पण किया गया। यह सॉफ्टवेयर हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के बीच त्वरित एवं सटीक अनुवाद की सुविधा प्रदान करता है। इस टूल में अब तक 5 करोड़ से अधिक वाक्य शामिल किए जा चुके हैं। इस तकनीक से मंत्रालयों/विभागों में बहुभाषी पत्राचार अधिक सुगम हुआ तथा भाषाई एकता एवं डिजिटल सशक्तिकरण को बल मिला। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की महत्त्वपूर्ण परियोजना हिंदी शब्द सिंधु का लोकार्पण अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, सूरत में माननीय गृह और सहकारिता मंत्री दवारा किया गया। प्रारंभिक संस्करण में 51,000 शब्द शामिल किए गए थे। 14 नवंबर 2025 को इसके तीसरे संस्करण का लोकार्पण किया गया, जिसमें 7 लाख से अधिक शब्द तथा 84,000 से अधिक भारतीय भाषाओं के शब्द शामिल हैं। इसे अदयतन करने हेतु 144 विदवान लगातार कार्यरत हैं। यह सामग्री राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर ई-सरल हिंदी वाक्य कोष उपलब्ध है, जिसमें 12,000 से अधिक सामान्य प्रयोग के सरकारी वाक्य संकलित हैं। सुश्री नेहा धवन दवारा दिए गए सुझावों के उत्तर में उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (जिसकी अध्यक्षता विभाग के संयुक्त सचिव करते हैं) की बैठक प्रति तीन महीने में एक बार होनी चाहिए और हिंदी सलाहकार समिति की बैठक राजभाषा विभाग के मैनुअल के अनुसार वर्ष में दो बार ही निर्धारित है।

माननीय कौशल विकास और उद्‍यमशीलता राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) श्री जयन्त चौधरी

माननीय मंत्रीजी ने अपने संबोधन में समिति के माननीय सांसदगण, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि, मंत्रालय के अधिकारियों तथा समिति के सभी गैर-सरकारी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनके रचनात्मक एवं बहुमूल्य सुझावों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रस्तुत विषयों ने गंभीर आत्ममंथन के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में अधिकांश सरकारी सेवाएँ डिजिटाइजेशन की ओर अग्रसर हैं। मंत्रालय की पीएमकेवीवाई जैसी योजनाओं में मिश्रित आकलन की प्रणाली अपनाई जा रही् है तथा तकनीक के विकसित होते स्वरूप को देखते हुए पूर्णतः ऑनलाइन पाठयक्रम और ऑनलाइन आकलन का समय दूर नहीं है। ऐसी स्थिति में हिंदी भाषा के प्रयोग को सरल, प्रभावी और व्यावहारिक बनाने हेतु आवश्यक इकोसिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री जी ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिदध) के संदर्भ में कहा कि उपलब्ध पाठयक्रम सामग्री का अधिकाधिक अनुवाद संभव हो सके, इसके लिए भाषिणी प्लेटफ़ॉर्म का एकीकरण किया गया है। उन्होंने राजभाषा विभाग से अनुरोध किया कि क्या कोई ऐसा एआई टूल विकसित हो सकता है जो बोलचाल की भाषा व नए शब्दों को समुचित रूप से उसी प्रकार समाहित कर सके, जैसे अंग्रेज़ी भाषा विश्वभर के बोलचाल के शब्दों को अपने शब्दकोश में शामिल कर विस्तार करती है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय समय-समय पर अपने अनुभवों, पाठयक्रमों और तकनीकी शब्दावली के आधार पर शब्दकोश निर्माण में सुझाव देता रहेंगा।

उन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होने से विषयों की समझ अधिक गहरी होती है और विशेषकर तकनीकी शिक्षा में सीखने के बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इसी दिशा में मंत्रालय के प्रयासों को मार्गदर्शन प्रदान करती है।

अंत में, उन्होंने समिति के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए आश्वस्त किया कि मंत्रालय राजभाषा नीति के अनुरूप सभी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करेगा।

अंत में सुश्री हेना उस्मान, संयुक्त सचिव ने सर्वप्रथम समिति की अध्यक्षता करने के लिए माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने माननीय सांसदगण, समिति के सदस्यों, सचिव महोदया, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सभी अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने हेतु हुए सार्थक विचार-विमर्श और प्रस्तुत सुझाव मंत्रालय के लिए अत्यंत उपयोगी रहेंगे। मंत्रालय का प्रयास रहेगा कि सभी सुझावों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप यथासंभव लागू किया जाए। उन्होंने आगामी बैठकों में भी सभी सदस्यों की उपस्थिति और उनके दवारा मार्गदर्शन की अपेक्षा व्यक्त की और बैठक में उनके दवारा दिए गए धन्यवाद ज्ञापन के बाद, विधिवत समापन की घोषणा की गई।

अनुबंध-1

दिनांक 03.12.2025 को आयोजित कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

1.	श्री जयन्त चौधरी, माननीय कौशल विकास और उदयमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	अध्यक्ष
2.	श्रीमती मंजू शर्मा, माननीय सांसद, लोक सभा	सदस्य
3.	श्री आदित्य प्रसाद, माननीय सांसद, राज्य सभा	सदस्य
4.	सुश्री देवश्री मुखर्जी, सचिव, एमएसडीई	सदस्य
5.	श्री सायन कुणाल, प्रतिनिधि, विश्व हिंदी परिषद	सदस्य
6.	श्री व्योमेश शुक्ल, प्रतिनिधि, नागरी प्रचारिणी सभा	सदस्य
7.	श्रीमती ललिता प्रदीप (पाण्डेय), प्रतिनिधि, एमएसडीई	सदस्य
8.	श्री भोला शंकर शर्मा, प्रतिनिधि, एमएसडीई	सदस्य
9.	श्री शेषमणि शुक्ल, प्रतिनिधि, एमएसडीई	सदस्य
10.	श्री हरिनारायण, प्रतिनिधि, एमएसडीई	सदस्य
11.	सुश्री नेहा धवन, प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग	सदस्य
12.	डॉ. माणिक विश्वकर्मा, प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग	सदस्य
13.	श्री. श्रीकांत कन्नन, प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग	सदस्य
14.	श्री एम. सुब्रमणियन, संयुक्त सचिव (राजभाषा) कौशल विकास और उदयमशीलता मंत्रालय	सदस्य
15.	सुश्री हेना उस्मान, संयुक्त सचिव, कौशल विकास और उदयमशीलता मंत्रालय	सदस्य
16.	श्री सुनील कुमार गुप्ता उप महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय	सदस्य
17.	श्री दीपक दान बर्नवाल	सदस्य

	निदेशक, एनसीवीईटी	
18.	सुश्री पूनम सिन्हा निदेशक, निस्बड़, नोएडा	सदस्य
19.	श्री ईश्वर च. पूजार निदेशक, भारतीय उदयमिता संस्थान, गुवाहाटी	सदस्य
20.	श्री टी. वी राजशेखर, कार्यकारी निदेशक राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई	सदस्य
21.	श्री टी. रागुलन, निदेशक केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	सदस्य
22.	श्री इंदु भूषण लेंका उप- सचिव, जन शिक्षण संस्थान निदेशालय	सदस्य
23.	श्री रघुवीर शर्मा, उपनिदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय	सदस्य
24.	श्री मनीष कुमार सिंह, उप सचिव (राजभाषा)	सदस्य
25.	सुश्री बीनू के बी, प्रभारी सहायक निदेशक (राजभाषा)	सदस्य